130

strength of Judges, rationalisation of court fee, tagging of idential matters, setting up of Lok Adalats and mobile courts, filling up of vacancies expeditiously, improvement of service conditions of judges at all levels, providing of standard patterns of court buildings and setting up of Training Institute for judicial officers.

## पूर्वी उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना

661 डा॰ रत्नाकर पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे दि:

- (क) अगले पांच वर्षों के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बृहत और मध्यम श्रेण: के कितने उद्योगों क: स्थापन। का लक्ष्य है; और
- (ख) इन ऊद्योंगों से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है; और
- (ग) किन-किन स्थानों में इन उद्योगों को स्थापना करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मन्त्रालय में श्रौद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीएम ः श्ररणाचलम्)

(क) से (ग) बड़े उद्योगी स्यापनी स्यल की ग्राधीर तकन की भ्राधिक तय्य होते हैं भ्रीर किसी भी एक क्षेत्र में ऐसे उद्योगों को स्थापनार्थ लक्य विनिर्दिष्ट नहीं किये जाते। जह तक लघ उद्योगों की स्थापना का प्रशन है, इसका उत्तरदायित्व प्राथिमिक रूप से राज्य सरकार पर है । निस्संदेह ग्रपने-ग्रपने राज्यों में विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बड़े और लघु उद्योगों की स्थापना हेत् राज्य सरकारें बढावा देने का प्रयास करतो हैं। केन्द्र सरकार केन्द्र य प्रोत्साहन रियायते, तया राज्य के पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने के मामले में प्राथमिकता देकर राज्य सरवार के उक्त प्रयासों में सहायता पहुंचाती है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े और मझौले उद्योगों की स्थापना के लिये 39963 लाख रुपये तथा प्रामीण ग्रौर लघु उद्योगों की स्थापनार्थ 17150 लाख रुपये के परिस्थय पर सहमति हो गई है। इस परिव्यय में राज्य के पूर्वी क्षेत्र में भी उद्योगों की स्थापना हेतु किया गया प्रावधान सम्मिलित है।

उद्योग (विशास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन उत्तर प्रदण के पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापनार्थ 1985 और 1986 (जनवरी—सितम्बर) के दौरान दिये गये आशय पत्नों और अद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दर्शीयी गयी है:—

1986 1985 (जनवरी सितम्बर)

आशय पत्र	19	8
श्रीद्योगिक लाइसेंस	1 1	6

स्यापना स्यल और विनिर्माण की वस्तु बादि सहित इन बाशय पत्नों व ब्रीडोगिक काइसेंसों के स्यूल ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रवाशित किये जाने वाले "मंथली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से छाये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद् में पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

## Transfer of Telex Operators in Coal India Limited

662. SHRI BIR BHADRA PRATAP 'SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state;

(a) whether it is a fact that policy of regarding transfer of the officials especially in the case of Telex Operators working in Coal India Limited, is not being foil-owed;